Real Growth Commercial Enterprises Ltd.
(CIN-L70109DL1995PLC064254)

Listing Department
BSE limited,
P J Towers, Dalal Street
Mumbai- 400001

Ref: Security Code: 539691 & Security ID - RGCEL

Subject: Notice of Board Meeting- Pursuant to Regulations 29 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/ Madam,

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, December 13, 2017 at New Delhi, inter alia, consider, approve and take on record the un-audited financial results of the company for the half year/quarter ended September 30, 2017.

The Results for the second quarter of the current financial year and half year ended 30th September 2017 are being declared pursuant to point 2.6(i) read along with point 2.7 of Circular No. CIR/CFD/62/2016 dated 5th July 2017 issued by Securities and Exchange Board of India

The said Notice may be accessed on the Company's website at www.realgrowth.co.in

For Real Growth Commercial Enterprises Limited

(Shivani Gautam)
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Delhi
Date: 04.12.2017

Regd./Corp. Office: Shop No. G-01, RG City Centre, Plot No.SU, LSC, B-Block, Lawrence Road Delhi North Delhi 110034
Ph.: 011-47770555 | Fax: 011-47770599 | E-mail: rg@rggroup.in | Web: www.rggroup.in

दो डॉक्टरों की सेवाएं खत्म की गईं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

शालीमार बाग के मैक्स अस्पताल में जिंदा नवजात की मृत बताने के मामले में अस्पताल प्रशासन की ओर से दो डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। अस्पताल प्रशासन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दो डॉक्टरों डॉ विशाल गुप्ता व डॉ एमी मेहता को अस्पताल से निकाल दिया गया है। मामले की जांच जारी है।

उधर दिल्ली चिकित्सा परिषद ने सोमवार को मैक्स अस्पताल को नोटिस जारी किया। दिल्ली चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार डॉ मिनिल त्यागी ने बताया कि अस्पताल को नोटिस जारी कर एक हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा गया है। हरियाणा जवाब आने पर मेडिकल काउंसिल की ओर से गठित जांच समिति मामले की पड़ताल कर जरूरी कार्रवाई करेगी।

गौरतलब है कि गत 30 नवंबर की सुबह शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल में एक महिला ने जुड़वा बच्ची (एक लड़का और एक लड़की) को जन्म दिया था। बच्ची मृत ही पैदा हुई थी। अस्पताल ने बच्चे के माता-पिता को यह बताया कि दोनों बच्चे मृत पैदा हुए हैं और उनके दोनों बच्चे एक पॉलिथिन बैग में सौंप दिए गए, लेकिन उसके अंतिम संस्कार से ठीक पहले परिवार ने पाया कि एक बच्चा जिंदा है। मामले की जांच के लिए गठित समूह में आइएमए के दो विशेषज्ञों को भी शामिल किया है। कह दोनों विशेषज्ञ हैं- आइएमए की आचार समिति के अध्यक्ष डॉ अरुण अग्रवाल और आइएमए के संयुक्त सचिव डॉ रंजन दत्ता।

सांस लेने का हक छीन रही केंद्र व दिल्ली सरकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

वायु प्रदूषण पर सोमवार को प्रेसवार्ता जारी करते डॉ शशि थरूर व अन्य कांग्रेसी नेता। फोटो : अरुण पंडित

आॅल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ शशि थरूर ने सोमवार को राजधानी में वायु प्रदूषण पर प्रेस पत्र जारी किया और कहा कि दिल्ली के लोगों को सांस लेने का अधिकार है, लेकिन केंद्र और दिल्ली सरकार हमें सांस लेने के अधिकार से वंचित कर रही हैं। एक संवाददाता सम्मेलन में थरूर ने कहा कि दिल्ली का वायु प्रदूषण इतना भयावह है कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम को टेस्ट मैच खेलने में बहुत तकलीफ हो रही थी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति हमें 20 साल पहले की याद दिलाती है जिस समय आॅस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को वायु प्रदूषण के कारण फिरोजशाह कोटला मैदान में मैच खेलने में परेशानी हुई थी। उस वक्त दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन की बसों को सीएनजी में बदलने का काम बहुत जल्द ही पूरा कर लिया था। सम्मेलन में थरूर के साथ प्रोफेशनल कांग्रेस के उत्तरी क्षेत्र के प्रभारी सत्यमान सोम व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी भी मौजूद थीं।

थरूर ने कहा कि दिल्ली में वायु की गुणवत्ता को लेकर एक ऐतिहासिक आपातकाल लगा है और इससे निजात पाने के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार को उद्योगपतियों, व्यापारियों, नागरिकों व समाज के विभिन्न वर्गों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। प्रोफेशनल कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अमन पंवार ने कहा कि हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें हमने कोर्ट से केंद्र व दिल्ली सरकार से मेट्रो के बढ़े किराए की भरपाई के लिए आदेश मांगा है और हमने दिल्ली सरकार से समयसीमा के अंतर्गत 12000 नई बसें खरीदने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि हमने जनहित याचिका में दिल्ली सरकार को यह आदेश देने की गुहार लगाई है कि वह पहली से चली बस डिपो में मल्टीलेवल पार्किंग बनाए ताकि नई बसों को भी वहां पार्क किया जा सके।

प्रोफेशनल कांग्रेस के उत्तरी क्षेत्र के प्रभारी सत्यमान सोम ने कहा कि दिल्ली का वायु प्रदूषण इतना खराब है कि एक सिगरेट के मुताबिक, धूम्रपान न करने वाला भी 50 सिगरेट पी रहा है। उन्होंने एक विदेशी जर्नल का हवाला देते हुए कहा कि 2015 में प्रदूषण के कारण 25 लाख मौतें समय से पहले हुई थीं। इस श्वेत पत्र में वायु प्रदूषण को लेकर दीर्घकालीन व अल्पकालीन योजना बनाई गई है। दीर्घकालीन योजना के तहत केंद्र सरकार को निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं: सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, डीटीसी बसों की संख्या बढ़ाने, मेट्रो का किराया व किराए कम करने, गैस आधारित बिजली संयंत्रों से बिजली खरीदने, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में प्रदूषण के नियम लागू करने, धूल को कम करने के उपाय लागू करने, कूड़ा जलाने पर रोक व पटाखों पर प्रतिबंध जैसे सुझाव दिए गए हैं।

कल बारिश के आसार, कम हो सकता है प्रदूषण

दिवाली के बाद से प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। पहले दो दिनों से जारी धुंध और प्रदूषित हवा से राजधानी को भले दिल्लीवालों को मिजाज नहीं मिल सकी और धुंध के कारण दिन में भी सूरज का दीदार नहीं हो पाया। भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) के मुताबिक, मंगलवार को भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। हालांकि 6 दिसंबर को छिटपुट बारिश के आसार बन रहे हैं, जिससे हवा में घुले प्रदूषण का स्तर कम सकता है। उसके बाद 11 और 12 दिसंबर को भी बारिश की संभावना बन रही है।

रविवार की तरह सोमवार को भी बदली और धूप ने सूरज की तपिश को कमजोर साबित कर दिया। हालांकि, तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आया है और रविवार की तरह ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 28.5 और 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं धूप में घुले प्रदूषण कणों से न केवल लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई, बल्कि दृश्यता भी प्रभावित रही। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 8:30 बजे सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में दृश्यता सिर्फ 700 मीटर रह गई जबकि पालम स्टेशन पर यह 900 मीटर दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि कोहरे में दृश्यता का स्तर 1000 मीटर से नीचे आने पर इसे खराब माना जाता है। मंगलवार को भी आसमान में बादल छाए रहने और सुबह धूप का पूर्वानुमान है।

डीयू में साइबर सुरक्षा व कानून का डिप्लोमा जल्द

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) जल्द ही साइबर सुरक्षा और कानून इस एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करेगा।

इसके लिए विश्वविद्यालय की कार्य-पैक्षविक परिषद से मंजूरी ले ली गई है। डीयू रजिस्ट्रार की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, इस पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा के साथ साइबर कानून भी पढ़ाया जाएगा।

इस पाठ्यक्रम को करने के बाद साइबर कानून के विशेषज्ञ तैयार हो सकेंगे जिनकी जरूरत विभिन्न बैंकों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, सेवाप्रदाताओं आदि को होगी। इस पाठ्यक्रम को उसीन की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है।

जामिया में बीटेक के लिए पंजीकरण आज से

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

जामिया मिलिया इस्लामिया ने बीटेक और बीआर्क पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मंगलवार से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए आवेदकों को पहले जेईई मेन का आवेदन करना होगा। इसके बाद जामिया की वेबसाइट पर बीटेक या बीआर्क के लिए पंजीकरण करते समय जेईई मेन की आवेदन संख्या भी दर्ज करनी होगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 7 मार्च 2018 तय की गई है। दोनों पाठ्यक्रमों में दाखिला जेईई मेन की रैंक और जामिया की दाखिला नीति के हिसाब से ही दिया जाएगा।

उभरते खिलाड़ियों को वित्तीय मदद देगी दिल्ली सरकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

दिल्ली सरकार ने स्कूलों की खेल प्रतिभाओं की मदद के लिए एक नई नीति तैयार की है जिसके तहत उभरती खेल प्रतिभाओं को विशेष सहायता के साथ-साथ विशेष परिचर्या भी उपलब्ध कराया जाएगा। 14 साल तक के विद्यार्थियों को सालाना 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी, जबकि 14 साल से ऊपर के विद्यार्थियों को 3 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। जल्द ही इस पर कैबिनेट की मंजूरी भी ली जाएगी।

सोमवार को आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस नीति को अंतिम रूप दिया। बैठक में अलग-अलग खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, विशेषज्ञों और स्कूली खेल प्रतिभाओं के साथ-साथ शिक्षा व खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस नीति का फायदा उन सभी स्कूली छात्र-छात्राओं को मिलेगा

14 साल तक के विद्यार्थियों को सालाना 2 लाख और 14 साल से ऊपर के विद्यार्थियों को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे

जिनके पास राजधानी में पिछले तीन साल से रहने का कोई सरकारी दस्तावेज हो। इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें खेल जगत से जुड़े हुए कम से कम पांच सदस्य होंगे। विशेषज्ञों की कमेटी कुछ मामलों में वित्तीय सहायता चढ़ा भी सकती है। ये वित्तीय सहायता खेल प्रतिभाओं को सीधे तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय सहायता के अतिरिक्त खेल प्रतिभाओं को विशेष सहायता भी दी जाएगी। इस योजना के तहत चयनित प्रतिभाओं को प्रशिक्षण सहायता, चिकित्सा सहायता और बीमा सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक खेल प्रतिभा को शुरू में दो साल तक के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी और फिर उसके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद सहायता जारी रखने पर फैसला लिया जाएगा।

विद्यार्थियों के हित में छात्र न्यायालय और छात्र अधिकार आयोग बनें : एनएसयूआइ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआइ) ने देश के विद्यार्थियों के हित को सुरक्षित रखने के लिए छात्र न्यायालय और राष्ट्रीय छात्र अधिकार आयोग के गठन की मांग की है। इसके अलावा इस छात्र संगठन की ओर से विश्वविद्यालय छात्र संघों के लिए लागू लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों में व्यापक बदलाव करने की भी मांग की गई है।

एनएसयूआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान ने इन सभी मुद्दों को लेकर सोमवार को एक प्रेस वार्ता की। फिरोज ने कहा कि हाल ही में संसद्स राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और इसमें विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की बड़ी संख्या शामिल है। हालांकि हमने छात्र न्यायालय और राष्ट्रीय छात्र अधिकार आयोग के गठन की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए देश भर में छात्र अदालतें बनाई जाएं। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि एनएसयूआइ की तरफ से कानून के प्राध्यापकों के भीतर एक छात्र आयोग का गठन किया जाए। वह कमीशन, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के अधिकारों के हनन से बचाएगा।

फिरोज ने कहा कि लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों को कानून ही मान लिया गया है। हम मांग करते हैं कि देश में विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव कराने के लिए सरल कानून बनाए। इसके अलावा इन चुनावों को कराने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत एक चुनाव आयोग का गठन होना चाहिए। इसके अलावा एनएसयूआइ की ओर से मांग की गई कि सीधे तौर पर मतदान का उपयोग करके सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में चुनाव हो। फिरोज ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हम जल्द ही छात्र संघों के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित सभी छात्र संगठनों का एक सम्मेलन आयोजित करेंगे।

सांसद, विधायक चुनाव लड़ने की उम्र 18 साल हो

फिरोज ने कहा कि जिस देश में युवाओं की जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है, वहां सांसद या विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उसे काफी इंतजार करना पड़ता है। एनएसयूआइ ने मांग की कि इन चुनावों को लड़ने की उम्र घटाकर 18 साल की जानी चाहिए, साथ ही जनप्रतिनिधियों के कुनबा में मतदान की उम्र को भी घटाकर 16 साल किया जाना चाहिए।

पूर्व छात्रों ने शुरू किया किताब दान अभियान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व छात्र संघ ने लाइब्रेरी किताब दान अभियान शुरू किया। यह अभियान 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरतमंद विद्यार्थी वहां से किताब ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष इरफान हसन ने बताया कि हम जल्द ही जामिया में एक किताब बैंक भी बनाने जा रहे हैं। जहां से कोई भी विद्यार्थी मुफ्त में किताब ले सकता है। संघ को ये किताबें दान में ही मिलती हैं।

अनुवाद : हिंदी और तमिल में भी बोलता है डोरेमॉन

मीना
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

हम यहां ओरहान पामुक के 'अल्केमिस्ट' को हिंदी में पढ़ रहे हैं तो कहीं दूर देश में लोग रवींद्रनाथ ठाकुर की 'गीतांजलि' और प्रेमचंद के 'गोदान' को हिंदी में। उधर भारत के बच्चे डोरेमॉन को हिंदी में तो दक्षिण भारत के बच्चे तमिल, तेलुगु और मलयालम में देखते हैं। यह सब संभव है अनुवाद के कारण। अब अनुवाद का बाजार इतने अच्छे समय में है कि इस बाजार को किताबत है कि अच्छे अनुवादक नहीं मिल रहे हैं।

भारतीय अनुवाद परिषद के महासचिव और प्रोफेसर निदेशक पुरुषोत्तम टंडन के मुताबिक, भारतीय साहित्य को अनुवाद ने वैश्विक धरातल पर पहुंचा दिया है। आज अनुवाद भाषाओं आदानप्रदान का सेतु बन गया है। एक जमाना था जब अनुवाद को दोयम दर्जे का माना जाता था। लेकिन अब अनुवाद की मांग बढ़ रही है। आज अनुवादकों को अग्रिम पंक्ति में रखा जाता है। अनुवाद और उसकी जरूरत को आप किस तरह से देखते हैं? इस सवाल के जवाब में पुरुषोत्तम ने कहा कि साहित्य संवेदनाओं को जीवित रखता है और जिस सभ्य समाज में संवेदना और वेदना नहीं होती वह निरंकुश हो जाता है। साहित्य का अनुवाद यदि होगा तो संवेदनाओं का विस्तार होगा। जब हमें यह पता नहीं होगा कि पामुक या उधर भारत का लेखक क्या लिख रहा है तो फिर समभाव का भाव ही खत्म। तो राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एकता के लिहाज से साहित्य के अनुवाद की जरूरत है। हम बड़े-बड़े साहित्यकारों, रचनाकारों, दार्शनिकों को उनकी रचनाओं के अनुवाद के जरिए ही जानते हैं।

जितना आसान किसी अनुवित पुस्तक या लेख को पढ़ना होता है उतना ही कठिन किसी कृति का अनुवाद करना है। अनुवादकों को अनुवाद करते समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरे में अनुवाद पढ़ाने वाले डॉक्टर हरीश सेठी का कहना है, 'अनुवादकों के पास भाषा का सांस्कृतिक अंतर को अपनी भाषा में कैसे लाया जाए? का चुनौती रहती है। लेकिन इसके बावजूद आज अनुवाद के छात्रों की संख्या बढ़ रही है। डब्लू में अनुवाद पढ़ने के लिए सालाना लगभग डेढ़ से दो हजार बच्चे पंजीकरण कराते हैं। अब अच्छे अनुवादकों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है'।

जिस तरह से अनुवाद की मांग बढ़ रही है ऐसे में अनुवादकों की जिम्मेदारी भी चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। क्योंकि अनुवादक को सिर्फ भाषा के स्तर पर ही खुद को पलवृत्त नहीं करना होता बल्कि अनुवाद की तकनीक को भी समझना पड़ता है। अतः अनुवाद करने के लिए कई ऐप्स आ गए हैं जिनसे अनुवाद करना आसान हो गया है। लेकिन हमें यह ध्यान देना होगा कि मशीनी युग में कृत्रिम बुद्धि से काम करते हुए अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल किया जाए।

'जो भाषाएं कुएं का मेंढक थीं, वो समुद्र में मिल गई हैं'

भारतीय अनुवाद परिषद के महासचिव और प्रोफेसर निदेशक पुरुषोत्तम टंडन कहते हैं, 'इस वैश्विक दौर में अनुवाद ने दूरियों को खत्म किया है। विश्व की एक भाषा के रूप में अनुवाद को हम देख सकते हैं। अनुवाद ने खाँचों, उपखाँचों को विस्तार दिया है। जो भाषाएं कुएं के मेंढक की तरह थी आज वे समुद्र में मिल गई हैं। आज विदेशों में लोग अगर भारतीय भाषाओं की किताबें पढ़ते हैं तो यह अनुवाद के कारण ही संभव है।

डीटीयू में सहायक प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया सही नहीं : प्रो हंसराज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) में चल रही सहायक प्रोफेसरों की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया पर फोरम ऑफ ऐकेडमिक फॉर सोशल जस्टिस ने आपत्ति जताई है। फोरम के मुताबिक, सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया में सीधे साक्षात्कार होना चाहिए, जबकि डीटीयू साक्षात्कार से पहले आकेडमी से लिखित परीक्षा और फिर विषयगत प्रेजेंटेशन ले रहा है।

फोरम के चेयरमैन और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हंसराज सुमन के मुताबिक, डीटीयू द्वारा सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में साक्षात्कार को नकार कर, साक्षात्कार से पूर्व लिखित परीक्षा ली जा रही है। वहीं, डीटीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि हमारे यहां सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से नियम के अनुरूप है और यह प्रक्रिया हमारी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से भी मंजूर है।

सम्पत्ति को गंदा करने वाले तथा अनधिकृत विज्ञापन हटायें
अन्यथा कठोर दण्ड का सामना करें
सम्पत्ति को गंदा करना अपराध है। इसे रोकने हेतु एमसीडी एक निर्देश जारी करता है कि सभी सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति पर विज्ञापन चिपकाना अथवा इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तीन से 15 दिनों के अंदर सम्पत्ति को गंदा करने वाले अनधिकृत विज्ञापनों को हटा दें अन्यथा एक्ट के धारा 343 के अंतर्गत अभियोजन, भारतीय दण्ड संहिता तथा दिल्ली सम्पत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उचित कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसमें रु. 50,000/- तक के जुर्माने सहित एक वर्ष तक की सजा अथवा दोनों हो सकते हैं।
आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम | आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम | आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

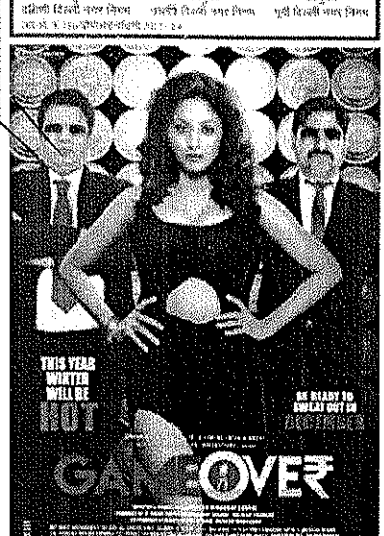

एक्सप्रेसकर्मी सेवानिवृत्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

इंडियन एक्सप्रेस समूह के टाइम ऑफिस में कार्यरत चौधरी जगमोहन सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने 1991 में एक्सप्रेस समूह में नौकरी शुरू की थी।

27 साल की नौकरी के बाद शर्मा विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। एक्सप्रेस के नोएडा सेक्टर-7 के कार्यालय में प्रबंधन और उनके साथियों ने उन्हें

बीकॉम में दाखिला प्रवेश परीक्षा से या कटऑफ से, फिलहाल तय नहीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के सौंदर्यीकरण सत्र 2018-19 में बीकॉम के दाखिले प्रवेश परीक्षा से होंगे या कटऑफ से, इसको लेकर अभी तक कुछ तय नहीं किया गया है। डीयू के अधिकारियों का कहना है कि अभी अगले साल होने वाले दाखिलों पर चर्चा के लिए दाखिला समिति ही नहीं बनी है। इसलिए इस मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। प्रवेश के लिए जल्द ही दाखिला समिति बनेगी। इस समिति की बैठक में दाखिला की प्रक्रिया को तय किया जाएगा।

डीयू में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला बारहवीं कक्षा के अंकों के आधार पर होता है। पिछले साल दाखिला कमेटी ने बीकॉम में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा कराने का फैसला लिया था। बैठक के

गलत जानकारी देने वालों से रहें सावधान

डीयू बीकॉम में प्रवेश फीस से दाखिले करेगा' खबर को लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारी परेशान हैं। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को भ्रमक जानकारी देने वालों से सावधान रहने के लिए कहा है। सही जानकारी के लिए डीयू की वेबसाइट पर ही भरोसा करें। विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ओर से सफाई दी गई है कि जिस वेबसाइट पर प्रवेश फीस से संबंधित खबर दी गई है, उसके बारे में प्रामाणिकता जांच ली।

गोष्ठिका में यह खबर तेजी से फैली कि सौंदर्यीकरण सत्र 2017-18 में बीकॉम में दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा, जिसको लेकर सोमवार को दाखिला समिति की बैठक में फैसला लिया जाएगा। बैठक के

सार्वजनिक सूचना
सूचना

its India's DP growth t to 6.7%

Agency has also cut GDP growth forecast for FY19 to 7.3% from 7.4%

have reduced our growth forecast for the fiscal year to end-March 2018 (FY18) to 6.7% from 6.9% in the September GEO," Fitch said in its latest GEO.

The US-based ratings agency said growth has "repeatedly disappointed" in recent quarters, partly because of one-off factors including the demonetisation programme of November 2016 and disruptions related to the implementation of the goods and services tax (GST) in July 2017. Reversing a 5-quarter slide in GDP growth, the economy bounced back from a three-year low to expand by 6.3% in July-September as manufacturing revved up and businesses adjusted to the GST regime.

1: SC asks SIT tus report in ha case

formed and it should be asked to submit a report on its investigation.

The apex court also asked the CBI Director to finalise the eight pending cases related to the coal scam on or before January 15, 2018 as both special public prosecutor and senior advocate RS Cheema and Bhushan argued that there was no logic to keep the "politically sensitive cases pending."

Bhushan told the bench that the CBI has not expedited investigation in several coal cases despite direction from the apex court in January this year.

He also requested the bench to take the plea filed by an NGO raising the issue of alleged diversion of coal from the block allotted to Reliance ADAG's Sasan Ultra Mega Power Project in Madhya Pradesh.

CE

Real Growth Commercial Enterprises Limited
CIN-L70109DL1995PLC064254
Regd. Off: Shop No. G-01, 80 City Centre Plaza SU, LSC B Block Lawrence Road, Delhi-35
Website: www.realgrowth.co.in
Email: rgcelltd@gmail.com
Ph. No.: 011-47778000, Fax: 011-47778099

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulations 29 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, December 13, 2017 at New Delhi, inter alia, consider, approve and take on record un-audited financial results of the company for the half year/quarter ended September 30, 2017.

The said Notice may be accessed on the Company's website at www.realgrowth.co.in and Bombay stock exchange website i.e. www.bseindia.com.

By Order of the Board of Directors
For Real Growth Commercial Enterprises Limited
Sd/-
(Rajesh Goyal)
Director

Place: New Delhi
Date: 04.12.2017

Sarraf appointed PNGRB chief

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, December 4

AFTER KEEPING THE post vacant for more than two years, the government has finally appointed Dinesh K Sarraf, former CMD of ONGC, as the new chairman of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB).

Sarraf, 60, who retired as the chairman of India's most profitable company on September 30, was appointed to head the PNGRB by the appointments committee of the Cabinet, an official order said.

FinCom to involve think-tanks in drawing up

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, December 4

THE NEWLY-CONSTITUTED 15TH Finance Commission held its first meeting on Monday and decided to involve think-tanks in drawing up its report that will primarily deal with devolution of revenue between the Centre and states.

The commission, headed by former Planning Commission member NK Singh, also discussed the terms of reference of the panel and other procedural issues, a finance ministry statement said.

The meeting was attended by former economic affairs secretary Shaktikanta Das and other members of the commission — Anoop Singh, Ashok Lahiri and Ramesha Chand.

"We covered a number of issues which need to be addressed. We went over the terms of refer-

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities. This is not for release, pu directly or indirectly outside India.

SHALBY MULTI-SPECIALTY HOSPITALS

SHALBY LIMITI

Our Company was originally incorporated as Shalby Hospital Private Limited on August 30, 2004, at Ahmedabad, Gujarat, India, as a private limited company under the Companies Act, 1956. Subsequently, our Company was converte and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name on conversion to a public limited company was issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad, Gujarat (RoC) on May 16, 2006, in the name of Shalb name of our Company was subsequently changed to Shalby Hospitals Limited, and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was issued by the RoC on July 24, 2014. Thereafter, the name of our Com Limited, and a fresh certificate of incorporation, consequent upon change of name was issued by the RoC on February 13, 2015. For details of change of the name and Registered Office of our Company, see "History and Certain Corp the Red Herring Prospectus dated November 24, 2017 ("Red Herring Prospectus.")

Registered and Corporate Office: Opposite Kamrunda Dairy, Sarkhej Gandhinagar Highway, Near Parimal Nagar Garden, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India; **Contact Person:** Jayesh Patel, Company Secretary a
Tel: +91 79 4020 3000; **Fax:** +91 79 4020 3129; **E-mail:** companysecretary@shalby.in; **Website:** www.shalby.org; **Corporate Identity Number:** U85110GJ2004PLC044667

OUR PROMOTERS: DR VIKRAM SHAH, DR DARSHINI SHAH, SHANAY SHAH, ZODIAC MEDIQUIP LIMITED AND SHAH F

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF SHALBY LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRI SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION ("OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGR MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 1,000,000 EQUITY SHARES BY DR VIKRAM SHAH (THE "SELLING SHAREHOLDER") AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION THE OFFER COMPRISES A NET OFFER TO THE PUBLIC OF UP TO [•] EQUITY SHARES (THE "NET OFFER") AND A RESERVATION OF UP TO 121,000 EQUITY SHARES AGGREGATING U SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (AS DEFINED HEREIN) (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER WILL CONSTITUTE [•]% OF OUR POST-OFFER PAID-UP E AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE [•]% OF OUR POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL.

Price Band: ₹ 245 to ₹ 248 per Equity Share of face value of ₹ 10 each.
The Floor Price is 24.5 times the face value and the Cap Price is 24.8 times the face value.
Bids can be made for a minimum of 60 Equity Shares and in multiples of 60 Equity Shares there

Risks to Investors:

i. **The three Book Running Lead Managers ("BRLMs") associated with the Offer have handled 35 public past three years, out of which 10 issues closed below the offer price on listing date.**
ii. **Average cost of acquisition of equity shares for the selling shareholder in IPO is ₹ 4.00* and offer price end of the price band is ₹ 248.**

*The average cost of acquisition of Equity Shares held by the Selling Shareholder has been calculated by considering the total cost of Equity Shares held divided by the total number of Equity Shares held (including bonus shares for w held not paid any monies). Further, the total number of Equity Shares held by the Selling Shareholder is calculated after taking into account the number of Equity Shares transferred by it to the Promoters, as applicable.

BID / OFFER PROGRAMME

OPENS TODAY
CLOSES ON: THURSDAY, DECEMBER 7, 20

ASBA* Simple, Safe, Smart way of Application!!!

*Applications supported by blocked amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund further details, check section on ASBA below.

Mandatory in public issues from January 1, 2016. No cheque will

In case of any revision to the Price Band, the Bid / Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid / Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revised Bid / Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the BRLMs and at the terminals of the mem intermediaries to Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs"), Registered Brokers, RTAs, and CDPs.

In terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("the "SCRR"), and in compliance with Regulation 26(1) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requ as amended ("SEBI ICDR Regulations"), this is an Offer wherein not more than 50% of the Net Offer shall be allocated on a proportionate basis to qualified institutional buyers ("QIBs"). The Company and the Selling Shareholder 50% Net Offer, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors ("Anchor Investor Portion") on a discretionary basis, out of which, at least one-third will be available for allocation to domestic Mutual Funds only subject to valid Bids Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. Such number of Equity Shares representing 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remai available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above Offer Price. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be proportionate basis to Non-Institutional Investors, and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being recei Offer Price. Further, up to 121,000 Equity Shares will be available for allocation on a proportionate basis to Eligible Employees, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All investors (except Anchor Bid cum Application Form in this Offer only through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process, and shall provide details of their respective bank account in which the Bid amount will be blocked by the SCSBs. For further det page 428 of the Red Herring Prospectus.

Bidders/Applicants should note that on the basis of DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder/Applicant may be deemed to have authorised the Depositories to provide to the Registra Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for other correspondence(s) related to the Offer. Bidder update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be sole risk. Bidders/Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should ma Client ID available in the depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that beneficiary account provided in the Bid cum Application form is ac

Contents of the Memorandum of the Company as regards its Objects: For information on the main objects and other objects of the Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 177 of the Red Herring Pr Memorandum of Association of the Company. The Memorandum of Association of the Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, see "Material Contracts and Documents for Inspection" o Prospectus.

Liability of the members of the Company: Limited by shares

Amount of share capital of the Company and Capital structure: The authorised, issued, subscribed and paid up Equity Share capital of the Company as on the date of the Red Herring Prospectus is as follows: The authorised as ₹ 1,177,000,000 divided into 117,700,000 Equity Shares of ₹ 10 each. The issued, subscribed and paid-up Equity Share capital of the Company is ₹ 866,549,120 divided into 86,654,912 fully paid up Shares of ₹ 10 each. For details, see on page 67 of the Red Herring Prospectus.

Names of signatories to the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them: The signatories to the Memorandum of Association are Dr Vikram Shah and Dr Darshini S Equity Shares each of ₹ 10 each. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" o Prospectus.

Listing: The Equity Shares to be offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on BSE and NSE. Our Company has received an in-principle approval from BSE and NSE for the listing of the Equity Shares pu 2017 and June 12, 2017, respectively. For the purposes of the Offer, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A signed copy of the Red Herring Prospectus and the Prospectus shall be delivered for registration to the RoC in acc the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus up to the Bid / Offer Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspec Herring Prospectus.

Disclaimer Clause of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"): SEBI only gives its observations on the offer documents and this does not constitute approval of either the Offer or the specified securities or the offer advised to refer to page 405 of the Red Herring Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of SEBI.

Disclaimer Clause of BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the Red Herring Prospectus has been cleared or approved by BSE nor does it certify the of any of the contents of the Red Herring Prospectus. The investors are advised to refer to page 405 of the Red Herring Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of the BSE Limited.

Disclaimer Clause of NSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or reviewed